



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं.: NCST/DEV-1583/JH/9/2023-ESDW

दिनांक: 22.05.2025

५३

सेवा में

श्री संदीप उराँव,
ग्राम-हरमू टोंगरी टोली,
जतरा मैदान के पास,
थाना-अरगोड़ा, वार्ड सं.-26,
जिला-रांची (झारखंड),
मोबाइल नं.:6203640664

विषय : भू माफियाओं द्वारा आवेदक की भूमि पर जबरन कब्ज़ा करने के संबंध में श्री संदीप उराँव, ग्राम – हरमू टोंगरी टोली, जतरा मैदान के पास, थाना – अरगोड़ा, वार्ड सं.-26, जिला – रांची, झारखण्ड दिनांक 06.04.2023 का अभ्यावेदन।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि डॉ आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आपके प्रकरण में दिनांक 30.05.2025 को 11:00 A.M. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के मुख्यालय, छठा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सिटिंग निश्चित की है, जिसमें सम्बंधित अधिकारियों तथा आपके साथ विचार विमर्श किया जायेगा।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त तिथि एवं समय की सिटिंग में आयोग में उपस्थित हों।

भवदीय

(एच.आर.मीना)
अनुसंधान अधिकारी

ई-मेल: rahul.1424@ncst.nic.in

Copy for information to:

- (i) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
- (ii) NIC, NCST for uploading on website